उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या 215//VII–2/15/66–एम.एस.एम.ई./2013
देहरादून : दिनांक 05 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली 2015 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं अर्थात :–

उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) नियमावली 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उद्यम एकल खिडकी सुगमता और अनुज्ञापन (प्रथम संशोधन) नियमावली–2015 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2 उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली–2015 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात–

		स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
		1	2
नियम 3 का संशोधन	नियम 3(1)	1. उद्यम की स्थापना के लिए अपेक्षित अनुज्ञापन चाहने वाला आवेदक या तो इलैक्ट्रॉनिक रूप विधान में या भौतिक रूपविधान में संबंधित नोडल एजेन्सी में आवेदन करेगा या जहाँ अनुज्ञापन विहित आवेदन प्ररूप में समाविष्ट नहीं होता हो वहाँ आवेदक सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन करेगा।	उद्यम की स्थापना के लिए अपेक्षित अनुज्ञापन चाहने वाला आवेदक या तो इलैक्ट्रॉनिक रूपविधान में या भौतिक रूप विधान में **कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म –1** जैसा कि सरकार द्वारा आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए अथवा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित नोडल एजेन्सी में आवेदन करेगा। जहाँ अनुज्ञापन विहित आवेदन प्रारूप में समाविष्ट नहीं होता हो वहाँ आवेदक सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करेगा।
	नियम 3(2)	किसी उद्यम के संचालन के लिए अपेक्षित अनुज्ञापन हेतु आवेदक इलैक्ट्रॉनिक रूप विधान में या भौतिक रूपविधान में संबंधित नोडल एजेन्सी में आवेदन करेगा या जहाँ अनुज्ञापन विहित आवेदन प्ररूप में समाविष्ट नहीं होता हो, वहाँ आवेदक राज्य सरकार	किसी उद्यम के संचालन के लिए अपेक्षित अनुज्ञापन हेतु आवेदक इलैक्ट्रॉनिक रूपविधान में या भौतिक रूपविधान में **कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म –2** जैसा कि सरकार द्वारा आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए अथवा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित नोडल

2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अथात :–

		स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 4 का संशोधन	2.	(1) नोडल एजेन्सी आवेदनों की पावती को सुगम बनाने हेतु प्रदत्तअनुज्ञापन, अनुज्ञा, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवंटन, सहमति, अनुमोदन, पंजीकरण, अनुज्ञप्ति इत्यादि से संबंधित चेकलिस्ट अपने सूचनापट पर प्रदर्शित करेगी। (2) पावती जारी करने के पश्चात् आवेदन की विशिष्टियाँ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदनों की पंजिका में प्रविष्ट की जायेंगी। (3) आवेदनों की पंजिका को प्रत्येक कार्य दिवस की समाप्ति पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जाँचा और सत्यापित किया जाएगा। (4) प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर, विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर उसे सक्षम प्राधिकारी को, आदेश में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर निस्तारण के लिए अग्रेसित करेगा। (5) सक्षम प्राधिकारी आवेदन पर कार्यवाही करेगा और आदेश में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर नोडल एजेंसी को विनिश्चय से संसूचित करेगा। (6) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त विनिश्चय को नोडल एजेन्सी द्वारा आवेदन की पंजिका में प्रविष्ट किया जायेगा और आवेदनों की प्रास्थिति सम्बंधित प्राधिकृत समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। (7) यदि नोडल एजेन्सी को किसी आवेदन पर संबंधित सक्षम प्राधिकारी से विहित समय–सीमा के भीतर विनिश्चय प्राप्त नहीं होता है, तो वह प्रकरण की प्रास्थिति को राज्य/जिला प्राधिकृत समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।	प्रयोजन हेतु नोडल एजेन्सी के कार्यों को दो चरणों में विभाजित किया गया है, जो क्रमशः उद्योग स्थापना तथा उद्योग संचालन से संबंधित हैं। **क. उद्योग स्थापना हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही–** (1) नोडल एजेन्सी द्वारा आवेदनों की पावती को सुगम बनाने हेतु वांछित अनुज्ञापन/अनुज्ञा प्रमाण–पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवंटन, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्ति इत्यादि से संबंधित चेकलिस्ट अपने सूचनापट पर प्रदर्शित की जायेगी। (2) नोडल एजेन्सी आवेदन प्ररूप को संपूरित करने में निवेशक की सहायता करेगी। (3) पावती जारी करने के पश्चात् आवेदन की विशिष्टियाँ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदनों की पंजिका में प्रविष्ट की जायेगी। (4) आवेदनों की पंजिका को प्रत्येक कार्य दिवस की समाप्ति पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जाँचा और सत्यापित किया जाएगा। (5) नोडल एजेंसी/प्राधिकृत अधिकारी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म–1 अथवा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल यथास्थिति जिला/ राज्य प्राधिकृत समिति के सदस्य– सचिव को अग्रसारित करते हुए विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर, समिति की आगामी बैठक में सैद्धान्तिक सहमति के लिए प्रस्तुत करेगा। प्राधिकृत अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्र की एक प्रति यथास्थिति